तेरी मेरी सबकी बात

लव जेहाद की वास्तविकता

'लव जेहाद' आज सत्ता की राजनीति के सामाजिक स्वरूप की पंच लाइन बन रही है। किसी भी राष्ट्र के इतिहास में अलग-अलग कालखंडों में सत्ता परिवर्तन के साथ राजनीति का स्वरूप बदलता रहता है तो नीतियाँ बदलती हैं। शासक वर्ग जनता के सामने क्या छवि चाहता है, इसके अनुसार राजनीति की पंच लाइन भी बदलती रहती है। आज़ादी के बाद 'समाजवाद' की अवधारणा राजनीति के स्वरूप को व्याख्यायित कर रही थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में 'गरीबी हटाओ' के नारे को उनके शासन की पहचान बनाने की कोशिश हुई। कांग्रेस के डा. मनमोहन सिंह के समय में उदारवादी आर्थिक नीति के साथ भूमंडलीकरण का समय शुरू हुआ जो उत्तरोत्तर मजबूत होता गया। सत्ता-व्यवस्था की मंशा और नीतियाँ वास्तविकता में क्या हैं और बाहर से वह क्या दिखाई देता है। दरअसल बाहर जो दिखाई देता है वह प्रचार और प्रसार के पहियों पर ही चलता-दौड़ता है।

आज धार्मिकता और कट्टर हिंदुत्व व्यवस्था का चेहरा है हालांकि व्यवस्था की मुख्यधारा इस चेहरे को बनाये रखने का काम नहीं कर रही है। इस व्यवस्था के मुख्य सरोकार आर्थिक नीतियाँ हैं। निजीकरण और अधिकतम पूंजीनिवेश की प्रक्रिया आज नयी ऊँचाइयों पर है। वैश्विक व्यवस्था इसकी ही माँग करती है। परेशानी यह है कि सत्तादल की पहचान कट्टरवादी हिन्दुत्व के रूप में बनी हुई है। सत्ता के शीर्ष पर रहने वाले और नीति नियामक राजनीति की ज़रूरतों के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर जनमानस से, सत्ता की नीतियों और सामाजिक जीवन के अंतर्द्वन्द्वों से भलीभांति परिचित होते हैं। इसीलिये रणनीति के फलस्वरूप यह स्थिति बनती है कि राजतंत्र अपने हितों के अनुरूप नीति निर्धारण की प्रक्रिया चालू रखे और सामाजिक परिदृश्य में जनमानस के निर्माण का काम दूसरे अनुशांगिक संगठनों पर छोड़ दिया जाय। सत्ता का शीर्ष वैश्विक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में संलग्न है लेकिन सामाजिक जीवन में धार्मिकता के मुद्दों को उठाते हुए अपनी पूर्व छवि को बरकरार भी रखा जाना है। यूँ भी धर्म और राजनीति के संबंध कभी सीधी रेखाओं में नहीं रहे। धर्म का स्वरूप और इसकी राजनीति में भूमिका हर कालखंड में अध्ययन का विषय रही है। सामाजिकता के परिप्रेक्ष्य में यह त्रिकोणीय संबंध और जटिल हो जाता है। इस त्रिकोणीय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रचारतंत्र की दिखाई देती है। इक्कीसवीं सदी की तो पहचान भी मीडिया ही है चाहे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया के रूप में हो।

धार्मिकता के रथ पर आरुढ़ होकर भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता के शीर्ष पर पहुँची। यह सच है कि भारत का विशाल मध्यवर्ग सत्ता-संरचना और निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है, लेकिन मध्यवर्ग और उच्चमध्यवर्ग का अपना विशिष्ट चरित्र है। शासक वर्ग की नीतियों के साथ-साथ उसके वर्गीय हित भी सर्वोपरि होते हैं। इसके विपरीत निम्न और निम्नमध्यवर्ग के साथ ऊपर उठता हुआ हाशिये का समाज जो अपनी पहचान बनाने के लिये, सामाजिकता की मुख्य धारा में स्थान और सम्मान पाने के लिये संघर्ष कर रहा है वह व्यवस्था की परिधि में रहने वाले संगठनों के कार्यक्रमों को लागू करने में आगे है। यह अकारण नहीं है कि दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जो सदियों से समाज की श्रेणीबद्धता में उपेक्षा और अन्याय का शिकार रहे आज कट्टर हिन्दूवादी संगठनों का चेहरा बन रहे हैं। अल्पशिक्षित, बेरोजगार या छोटी-मोटी नौकरियां करने वाले अथवा असामाजिक तत्वों की श्रेणी में शामिल नौजवान ऐसे प्रकरणों में आगे दिखाई देते हैं। मीडिया तंत्र उनका भाग्यविधाता है। उन्हें स्थापित करने में और नेतृत्व का स्वरूप प्रदान करने में हमारा मीडिया इसके लिये उत्तरदायी है। विशेष रूप से स्थानीय अखबारों के अलावा मुख्य भूमिका इलैक्ट्रानिक मीडिया की है और रही-सही कसर अब सोशल मीडिया पूरी कर रहा है जहाँ कोई भी नामालूम सा सिरफिरा उल्टे सीधे संदेश प्रसारित कर सकता है। हिंदी के बड़े राष्ट्रीय समाचार पत्र जिनके राष्ट्रीय

स्वरूप का प्रमाण उनका कई शहरों से प्रकाशन होना होता है, वे भी स्थानिकता के स्वरूप तक सिमट गये हैं। बारह-सोलह पन्नों के अखबार में अस्सी-सौ किलोमीटर दूर तक के शहर की खबरें भी ढूंढे से नहीं मिलतीं।

पिछले दिनों 'घर वापिसी' का कार्यक्रम जो आगरा में हुआ और पन्द्रह-बीस दिन तक अखबारों और टी.वी. में छाया रहा, उसके संयोजक नंद किशोर बाल्मीकि ने खूब प्रचार बटोरा। हिन्दू धर्म रक्षक नेता बन गया वह। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 'कास्ट्स इन इंडिया' में लगातार हिन्दू धर्म के बंद सामाजिक चरित्र की चर्चा करते हैं और डॉ. केतकर की पुस्तक 'कास्ट्स' के हवाले से भी जोर देकर कहते हैं कि हिन्दू समाज की श्रेणीबद्धता में शीर्ष पर स्थापित ब्राह्मण समाज ने अपने प्रभुत्व को बनाये रखने के लिये खान-पान तथा अंतर्जातीय विवाह को कठोर सामाजिक नियम बनाकर प्रतिबंधित किया। यह ब्राह्मण समुदाय द्वारा अपनी श्रेष्ठता और उच्चता को 'पवित्रता' जैसे भाव से जोड़ने के लिये था। अपनी इसी पुस्तक 'कास्ट्स इन इंडिया' में अंबेडकर कहते हैं कि कालांतर से वर्णव्यवस्था में ब्राह्मण वर्ग का अनुसरण करते हुए अन्य वर्ण-श्रेणियों ने भी बंद समाजों का निर्माण किया। अपनी ऐतिहासिक महत्व की पुस्तक 'अनिहिलियेशन ऑव कास्ट' में धर्म की (हिन्दू धर्म के संदर्भ में) भूमिका पर चर्चा करते हुए अंबेडकर का मत है कि परंपरागत हिन्दू धर्म के स्वरूप और नियमों के दायरे में जातिवाद और वर्णवाद की समस्या का कभी समाधान नहीं हो सकता और इसलिये वर्णवादी समाज व्यवस्था में दलितों और अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों को कभी न्याय और समानता का दर्जा नहीं मिल सकता। 'लव जेहाद' जैसी शब्दावली के सामाजिक जीवन में और राजनीतिक गलियारों में भरपूर इस्तेमाल पर अंबेडकर के विचार बेहद प्रासंगिक होते दिखाई देते हैं। इसलिये प्रश्न उठता है कि नंदकिशोर बाल्मीकि द्वारा आगरा क्षेत्र में कुछ कूड़ा बीनने वाले बंगाली मुस्लिम समुदाय के लोगों को हिन्दू बनाने के 'घर वापिसी' कार्यक्रम में अगुवाई करते हुये केवल मीडिया का फोकस मिला है या इससे जातिगत वर्ण व्यवस्था के नियमों का भी ध्वस्त होना संभव होता है? क्या इन कार्यक्रमों और नीतियों से हिन्दू समाज के भीतर की वर्ण व्यवस्था के बंधन भी टूटेंगे कि सभी वर्णों के मध्य रोटी-बेटी के संबंध लागू हो सकेंगे ?

यह ध्यान रखने की बात है कि 'लव जेहाद' जैसी शब्दावली सिर्फ राजनैतिक एजेंडा का हिस्सा है जैसे 'राम मंदिर' सत्ता-संघर्ष में सिर्फ राजनीति प्रेरित कार्यक्रम था जिसकी वास्तविकता धीरे-धीरे उजागर होती गयी। राममंदिर आंदोलन के दौरान जब कारसेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गयी और महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर भारत सहित लगभग पूरा देश दंगों की आग में झुलस रहा था, भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता के परिवार की बेटी ने मुस्लिम लड़के से शादी की। इसी तरह अपने मुस्लिम समुदाय के विरोध के लिये जानी जाने वाली शिवसेना के शीर्ष नेता के परिवार की बेटी ने भी ऐसा ही वैवाहिक गठबंधन किया, लेकिन यह सुखद है कि तब कोई 'लव जेहाद' जैसी बयानबाजी नहीं हुई। तथाकथित स्वामियों और साध्वियों ने जो धार्मिक वैमनस्य की आग उगलते हुए बयानबाजी की है, क्या उसका कोई असर सामाजिक संरचना पर हुआ है ? सबसे चर्चित 'लव जेहाद' के रूप में मेरठ प्रकरण सामने आया और खूब बयानबाजी हुई, राजनीति हुई और नेतागिरी हुई। मीडिया ने दिन रात इस प्रकरण की चर्चा कर इसे जिंदा रखा। असली सच्चाई भी मीडिया के द्वारा ही सामने आई हालांकि अब टी.वी. चुप था लेकिन अखबारों ने छोटे पैमाने पर ही सही वास्तविकता बयां की। स्पष्ट हुआ कि इस पूरे प्रकरण में नेतागिरी के अलावा पैसा भी शामिल था। पैसे की ताकत बड़ी होती है। लड़की ने पिता पर आरोप लगाया कि उसको नेताओं ने खासी अच्छी धनराशि देकर मनचाहा बयान दिलवाया था।

हमारे मेरठ के कुछ मित्र मेरठ कांड के लगातार सांप्रदायिक होते जाने से बहुत परेशान थे। अलीगढ़ में भी पिछली सदी के सातवें-आठवें और नवें दशक के बीच दंगों का माहौल रहा। कारण कभी राजनीति में सत्ता संघर्ष तो कभी व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता अथवा व्यापार में लाभ-हानि के प्रकरण। 1990-91 में होने

वाले भयानक दंगों में अलीगढ़ से शुरू हुयी आग ने धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों को भी चपेट में लिया जिसमें मुख्य भूमिका अफवाहों की थी और संवाहक अखबार थे। लगभग छह महीने बाद शहर सामान्य हो सका लेकिन मूलतः व्यापार और उद्योगों वाले इस शहर के व्यापारियों और निर्यातकों का जो नुकसान हुआ उसकी लंबे समय तक भरपाई नहीं हो सकी। जाहिर है उद्योग और व्यापार में मालिक और कारीगर के बीच रिश्ता अटूट होता है। बिना एक दूसरे के सहयोग के किसी का भी अस्तित्व संभव नहीं है। अब अगर मालिक हिन्दू तो कारीगर मुसलमान और मालिक मुसलमान तो कारीगर हिन्दू। कोई भी स्थिति हो सकती है। इसके बाद छोटे-मोटे प्रकरणों को छोड़ दें, इस पैमाने के सांप्रदायिक दंगे नहीं हुये। सत्ता और व्यापार का भी एक संबंध होता है और व्यापार 'धर्म निरपेक्ष' होता है।

हमारे मेरठ के एक वकील मित्र जो लेखक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी, उनसे मैंने अनुरोध किया कि इस तथाकथित 'लव जेहाद' प्रकरणों का पता लगायें और तथ्य इकट्ठा करें। वे बहुत उत्साही हैं। उन्होंने लगभग 90 ऐसे लोगों की सूची तैयार कर दी जिसमें सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित नाम थे जिन्होंने अंतधार्मिक विवाह किये तथा 'लव जेहाद' की अवधारणा को खारिज करते हुए वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके सम्मुख जब इन छुटभइये नेताओं और नेत्रियों के बयान सुनते हैं तो हंसी आती है। इन विवाह संबंधों पर किसी धार्मिक नेता ने न तो फ़तवे दिये और न ही किसी ने बयानबाजी की।

मेरठ के सिविल कोर्ट से हमारे साथी ने जो रिकार्ड देखे वे भी दिलचस्प हैं। ऊपर उल्लिखित 90 प्रकरणों में सभी समाज के उच्चवर्गीय, सम्माननीय लोग हैं जिनकी अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा है। मेरठ से प्राप्त रिकार्ड में 2011 से लेकर 2014 तक 20 अंतर्धार्मिक विवाह हुए। 'लव जेहाद' जैसे अभियान में लगे नेताओं को जानकर आश्चर्य होगा (या नहीं) कि इनमें लव जेहाद की प्रचलित की गयी अवधारणा के विरुद्ध छह हिन्दू लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों से ब्याह रचाया जबकि मुस्लिम लड़कों से शादी करने वाली केवल तीन हिन्दू लड़कियाँ थीं। इसके अलावा छह हिन्दू लड़कों की शादियाँ ईसाई लड़कियों से हुईं। दो ईसाई लड़कों ने हिन्दू लड़कियों से शादी की। इसके अलावा एक मुस्लिम जोड़े ने और दो हिन्दू लड़के और लड़कियों ने भी अंतर्जातीय सिविल मैरिज की। दरअसल विभिन्न प्रकार के हित साधन के लिये झूठ और अफ़वाह तयशुदा तरीके से प्रचारित किये जाते हैं और फिर भ्रम, वास्तविक नज़र आने लगते हैं जहाँ तर्क और बुद्धि का कोई काम नहीं होता। राजनीति के उतार-चढ़ाव के साथ ये बुलबुले बनते और फूटते रहते हैं। प्रेम और विवाह में वर्गीय आधार भी होता है। मेरी एक मित्र ने आज से लगभग पैंतालीस वर्ष पूर्व अंतधार्मिक विवाह किया और वह विवाह घरवालों की सहमति से था। मध्यवर्गीय मेरी मित्र का पति बहुत बड़े प्रतिष्ठित संपन्न खानदान से था। हमारे ही आस पास अनेक अंतर्धार्मिक विवाह वाले परिवार हैं जो सुखी हैं और प्रेमपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तथा उन्हें अपने परिवारों का भी समर्थन है। दरअसल, आज बड़ी समस्या अंतर्धार्मिकता की नहीं, कुछेक समुदायों में अंतर्जातीय विवाह और और उसके साथ ऑनर किलिंग के प्रकरण की है। देखा गया है कि वर्ण व्यवस्था के क्रम में निचले पायदानों पर रहने वाले समुदायों में खानदान का मान-सम्मान का भूत सबसे ज्यादा सर पर चढ़कर बोलता है कि उनकी लाडली बेटियों की अपने प्रेमी/ पति के साथ बलि अपने ही परिजनों के हाथों चढ़ जाती है। अफ़सोस यह है कि ऑनर किलिंग के प्रकरण लगातार सुनाई दे रहे हैं।

इसीलिये दूसरों के शयनकक्षों में झांकना छोडें। उच्चवर्गीय प्रतिष्ठित जोड़ों तक तो छुटभैये नेताओं की पहुँच हो नहीं पाती, तथाकथित 'लव जेहाद' जैसे विषय को लेकर बयानबाजी करने वाले अपनी लड़कियों को 'असम्मान हत्याओं' से बचा लें तो यह एक सही काम होगा।

28-एम.आई.जी.

अवन्तिका-।

रामघाट रोड, अलीगढ़